

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक :- 104

दिनांक:- 09/1/26

कार्यालय आदेश

मैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्यालय पर स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग के न्यायालयों के प्रकरणों में अभिरक्षारत बंदियों की जिला कारागृह, अलवर से न्यायिक अभिरक्षा अवधि जरिये विडियो कांफ्रेंसिंग बढ़ाये जाने हेतु निम्न पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी (राजकीय अवकाश छोड़कर) लगायी जाती है :-

माह फरवरी, 2026

क्र० सं०	न्यायालय का नाम	दिनांक / माह
01.	स्पे. (एन.आई.एक्ट कैसेज) न्यायालय संख्या-1, अलवर	01.02.2026 से 10.02.2026
02	अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-5, अलवर	11.02.2026 से 20.02.2026
03	स्पे. (एन.आई.एक्ट कैसेज) न्यायालय संख्या-2, अलवर	21.02.2026 से 28.02.2026

नोट:-

- 1- उक्त ड्यूटी दिनांक को अधिकारीगण के अवकाश पर होने के दौरान उनके लिंक अधिकारी द्वारा उक्त कार्य सम्पादित किया जावेगा तथा उक्त कार्य सांय 4.30 से 5.00 पी०एम० के मध्य एवं मोर्निंग समय में 12.30 पी०एम० से 1.00 पी०एम० के मध्य विडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में सम्पादित किया जावेगा।
- 2- जिन प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है उन प्रकरणों में न्यायिक अभिरक्षा की समय अवधि उसी न्यायालय के द्वारा बढ़ाई जावेगी।
- 3- अलवर मुख्यालय पर स्थित समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण स्वयं अपने स्तर पर रिमाण्ड पेपर्स निर्धारित समय से पूर्व ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट (अधिकारी) के समक्ष वी०सी० रूम में प्रेषित करने की सुनिश्चितता करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर

क्रमांक:- 105-08

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
2. अलवर मुख्यालय पर स्थित समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्तर के समस्त पीठासीन अधिकारीगण।
3. अधीक्षक, जिला कारागृह अलवर।
4. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय अलवर को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर

दिनांक:- 09/1/26